न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00274 (118/2016)

रामस्वरूप पुत्र आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा।–अपीलार्थी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा –(फौत)

1/1 श्रवण,
1/2 पूर्णराम
1/3 धोलूराम
1/4 नामालूम
1/5 रूपादेवी
1/6 काली
1/7 नारायणी
1/8 नीमादेवी
} पुत्र/पुत्रियान किशनाराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा।

2. गौरीशंकर
3. रामकुमार
4. रामेश्वर
} पि0 आदूराम जाति जाट स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा

5. पार्वती पुत्री आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा –मृतक

5/1 लादुराम पुत्र गोपालदास जाति स्वामी निवासी कोला तहसील व जिला हनुमानगढ।

5/2 औमप्रकाश
5/3 लीलाधर
5/4 मांगीलाल
} पि0 लादुराम जाति स्वामी निवासी कोला तहसील व जिला हनुमानगढ।

6. चन्द्रपति
7. प्रमेश्वरी
} पुत्रीयान आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा

8. राजेन्द्र पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा।
9. रामेश्वरलाल पि0 मु0 हंसराम जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा।
10. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा
11. ओरियण्टल बैंक गांधीबड़ी जरिये मैनेजर
12. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lamo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. रामकुमार पुत्र श्री आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.07.2015 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान रामचन्द्र बनाम किशनाराम आदि प्र0 सं0 533/2002

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1 से 4
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7, 8, 10
श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 12

निर्णय दिनांकः— 10.02.21

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 सं0 14 ने एक वाद रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध पेश किया। वाद में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के पिता आदुराम पुत्र मोहनदास के नाम रोही मौजा 3 महराणा व चक 4 महराणा, व चक 2 बाम्बलवास में भूमि थी, जिसपर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दु विधि अनुसार अपने पिता के साथ ब0हि0ब0 खातेदार व गैर खातेदार हो गये। आदूदास व उसके पुत्रों व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/7—1/7 हक व हिस्सा के खातेदार व गैर खातेदार हुए। वादीगण के पिता आदुदास ने दो वसीयत की रजिस्ट्री करवाई। वसीयत के उपरान्त आदुराम ने बाकी 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने लिए रख ली। उक्त भूमि 4 विभिन्न बैयनामों के द्वारा विभिन्न लोगों को बेचान कर दी गई। इन बैयनामों के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 8 ता 11 ने मद0 सं0 4 में दर्ज आराजी पर जबरिया कब्जा कर लिया व इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिए। इन्तकाल बैयनामा के अनुसार नहीं होने का अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया। आदूदास का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण इस भूमि को बेचान करना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का अनुतोष मांगा की प्रश्नगत आराजी में मदाखलत बैजा न करें व न किसी कदर मुन्तकिल ही करें। वादीगण ने अपने हक व हिस्से कब्जा व काश्त की भूमि का खाता तक्सीम कराने व लगान अलग से कायम कराने का अनुतोष [illegible] उभयपक्ष को सुनकर आवेदन स्वीकार किया, जिससे व्यथित हो[illegible] अपी[illegible]ण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई सहमति नहीं दी एवं ना ही अधिनस्थ न्यायायल में अपीलार्थी सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित किये। राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है। अपीलाण्ट की प्रकरण मे कोई सहमति नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 11 के हक में किये गये बैयनामा को अवैध घोषित करने के संबंध में पेश किया था लेकिन विचारण न्यायालय ने कोई तनकी कायम नहीं की। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। अपीलाण्ट ने दो वाद के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नही है। अपीलाण्ट ने देरी का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः खारिज की जावे।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3, 8, 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो वाद रामचन्द्र बनाम किशना आदि वाद सं0 533/02 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत तथा दूसरा वाद सं0 36/04 श्रवण आदि बनाम रामचन्द्र आदि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया था। दोनों का निर्णय दिनांक 08.07.2015 को एक साथ किया जाकर दावा 533/02 खारिज एवं 36/04 डिक्री किया। अपीलाण्ट ने उक्त दोनों निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट की प्रारम्भिक आपत्ति यह है कि दो आदेश के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं है। इसी आधार पर अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020 पेज 198, एआईआर 1976 पेज 1645 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट स्वयं वादी था। [illegible] किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष को सुनवाई हेतु आ[illegible] ता[illegible] पेशी 12.05.2015 नियत की गई थी। उसके बाद दिनांक 08.07.2015 को [illegible]स्व अभियान में बहस सुनकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में ऐसी कोई विधि अनियममिता नहीं पाते हैं जिसके कारण अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। फलतः अपीलाण्ट की अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10/2/21

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00274 (118/2016)

रामस्वरूप पुत्र आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा।—अपीलार्थी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा —(फौत)
   1/1 श्रवण,
   1/2 पूर्णराम
   1/3 धोलूराम
   1/4 नामालूम
   1/5 रूपादेवी
   1/6 काली
   1/7 नारायणी
   1/8 नीमादेवी
   } पुत्र/पुत्रियान किशनाराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. गौरीशंकर
3. रामकुमार
4. रामेश्वर
   } पि0 आदूराम जाति जाट स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा
5. पार्वती पुत्री आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा —मृतक
   5/1 लादुराम पुत्र गोपालदास जाति स्वामी निवासी कोला तहसील व जिला हनुमानगढ।
   5/2 औमप्रकाश
   5/3 लीलाधर
   5/4 मांगीलाल
   } पि0 लादुराम जाति स्वामी निवासी कोला तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. चन्द्रपति
7. प्रमेश्वरी
   } पुत्रीयान आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा
8. राजेन्द्र पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा।
9. रामेश्वरलाल पि0 मु0 हंसराम जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा।
10. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जनाण तहसील भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. ओरियण्टल बैंक गांधीबड़ी जरिये मैनेजर
12. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा
13. रामकुमार पुत्र श्री आदुराम जाति स्वामी निवासी जनाण तहसील भादरा

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.07.2015 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान रामचन्द्र बनाम किशनाराम आदि प्र0 सं0 533/2002

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1 से 4, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7, 8, 10, श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 12 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10·2·21 को जारी की गई।

10/2/21

(करतार सिंह पूनीयां आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested